राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] ग्यारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

सोमवार;

30 अक्टूबर, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

(वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।)

सदस्य का त्याग-पत्र

श्रीमती रमा पायलट का विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र हिण्डौली, जिला बूंदी से निर्वाचित सदस्या श्रीमती रमा पायलट ने दौसा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा सदस्य निर्वाचित हो जाने के कारण दिनांक 13 अक्टूबर, 2000 को राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है।

उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव, विधान सभा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, राजस्थान विधान सभा **(श्री जसवन्त सिंह माली)** : महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

(1) राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक, 1999.

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2000.

(3) राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2000.

(4) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2000.

(5) राजस्थान वित्त विधेयक, 2000.

(6) राजस्थान (होटलों और बासों) में विलासों पर कर (संशोधन) विधेयक, 2000.

(7) राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 2000.

(8) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000.

(9) राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000.

(10) राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000.

(11) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000.

(12) कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2000.

(13) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000.

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला।

अध्यादेश

सिंचाई विभाग

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश संख्या-5) सदन की मेज पर रखती हूं।

(श्रीमती कमला)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(2) के अन्तर्गत राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश संख्या-5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल।

स्वायत्त शासन विभाग

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश संख्या-6) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री गुलाब सिंह शक्तावत।

विधायी कार्य : विधयेक का पुरःस्थापन

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-18) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-18) को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री खेत सिंह राठौड़)

राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-19) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-19) को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री तैय्यब हुसैन।

कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2000

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री धर्मवीर, पूर्व राज्यपाल, कर्नाटक, पंजाब व पश्चिम बंगाल, श्री चिंतामणि पाणिग्रही, पूर्व राज्यपाल, मणिपुर, एस. निजलिंगप्पा, पूर्व मुख्य मंत्री, कर्नाटक, श्री राजेश पायलट, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद श्री पी.आर. कुमारमंगलम, केन्द्रीय मंत्री तथा इस विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अहमद बख्श सिंधी एवं पूर्व सदस्य श्री भगवान दास शास्त्री, श्री मान्धाता सिंह, श्री भागीरथ सिंह चौधरी तथा श्री कंवरलाल जेलिया के प्रति शोकाभिव्यक्ति।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए श्री धर्मवीर, पूर्व राज्यपाल, कर्नाटक; पंजाब व पश्चिम बंगाल; श्री चिंतामणि पाणिग्रही, पूर्व राज्यपाल, मणिपुर; एस. निजलिंगप्पा, पूर्व मुख्य मंत्री, कनार्टक; श्री राजेश पायलट, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद; श्री पी.आर. कुमारमंगलम, केन्द्रीय मंत्री तथा इस विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अहमद बख्श सिंधी एवं पूर्व सदस्य श्री भगवान दास शास्त्री, श्री मान्धाता सिंह, श्री भागीरथ सिंह चौधरी तथा श्री कंवरलाल जेलिया के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पश्चिमी बंगाल, पंजाब और कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल श्री धर्मवीर का जन्म वर्ष 1907 में हुआ। श्री धर्मवीर वर्ष 1930 में भारतीय सिविल सेवा में सम्मिलित हुए और केन्द्र सरकार में केबिनेट सचिव सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित रहे। वर्ष 1966-67 में आप दिल्ली के उप-राज्यपाल तथा पंजाब के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। वर्ष 1967 से 1969 तक आप पश्चिमी बंगाल के तथा 1969 से 1972 तक तत्कालीन मैसूर (वर्तमान कर्नाटक) राज्य के राज्यपाल रहे।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग के चेयरमैन रहे श्री धर्मवीर को उनकी प्रशंसनीय सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा पदमभूषण से विभूषित किया गया।

श्री धर्मवीर का 16 सितम्बर,

(श्री अध्यक्ष)

2000 को निधन हो गया।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व सांसद एवं मणिपुर के पूर्व राज्यपाल श्री चिंतामणि पाणिग्रही का जन्म 22 मार्च, 1922 को उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के विश्वनाथपुर ग्राम में हुआ। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही वर्ष 1977 से 1980 तक उड़ीसा विधान सभा के सदस्य रहे। विधान सभा में आप प्रतिपक्ष दल के नेता भी रहे। आप दूसरी (1957-62), चौथी (1967-72), पांचवीं (1972-77), सातवीं (1980-84) तथा आठवीं (1985-90) लोक सभा में कांग्रेस के सांसद रहे। सातवीं लोक सभा के कार्यकाल में आप सभापति तालिका तथा अनेक समितियों के सदस्य रहे। आठवीं लोक सभा के कार्यकाल में आप वर्ष 1985-86 में प्राक्कलन समिति के सभापति तथा 22 अक्टूबर, 1986 से 25 जून, 1988 तक केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री तथा 25 जून, 1988 से 4 जुलाई, 1989 तक केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे। आपको वर्ष 1989 में मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

पत्रकारिता तथा लेखन में रुचि रखने वाले श्री पाणिग्रही ने वर्ष 1942 के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय रूप से भाग लिया। आपने वर्ष 1947 से 1951 तक कटक से प्रकाशित दैनिक 'प्रजातंत्र' तथा वर्ष 1951 से 1956 तक दैनिक 'मातृभूमि' का सम्पादन किया। आपने उड़िया तथा अंग्रेजी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखीं। अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी रहे। आपने ब्रिटेन, अमेरिका तथा सोवियत रूस सहित लगभग 20 देशों की यात्रा की।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही का दिनांक 29 अप्रेल, 2000 को निधन हो गया।

पूर्व सांसद तथा कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री श्री एस. निजलिंगप्पा का जन्म 10 दिसम्बर, 1902 को कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के हलावगीलु में हुआ। आपने बी.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री एस. निजलिंगप्पा दूसरी मैसूर विधान सभा में कांग्रेस के विधायक चुने

(श्री अध्यक्ष)

गये और 1 नवम्बर, 1956 से 16 मई, 1958 तक मैसूर के मुख्य मंत्री रहे। आप 1962 में बगलकोट क्षेत्र से उप-चुनाव में निर्विरोध चुने गये और 21 जून, 1962 को पुनः मुख्य मंत्री बनाये गए। वर्ष 1967 में हुए चौथे आम चुनाव में भी आप निर्विरोध निर्वाचित हुए और 3 मार्च, 1967 को कर्नाटक के मुख्य मंत्री नियुक्त किए गए तथा 29 मई, 1968 तक आप इस पद पर आसीन रहे।

आप 1946-47 में संविधान सभा के सदस्य तथा 1952-56 में पहली लोकसभा के सदस्य भी रहे। आपको भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का प्रथम चेयरमैन बनाया गया। कर्नाटक के एकीकरण तथा पड़ौसी राज्यों से क्षेत्रीय विवाद सुलझाने में आपका विशेष योगदान रहा।

आपने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1939, 1942-44 तथा 1947 में आप कई बार जेल भी गये। हरिजनों के उत्थान में आपकी विशेष रुचि थी। आपने कांग्रेस संगठन में अनेक पदों के दायित्वों का निर्वहन किया तथा वर्ष 1968 में आप अविभाजित कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष भी रहे।

श्री एस. निजलिंगप्पा का दिनांक 8 अगस्त, 2000 को निधन हो गया।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वर्तमान 13वीं लोकसभा के सदस्य रहे श्री राजेश पायलट का जन्म 10 फरवरी, 1945 को उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के बैदपुर ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. तथा उड़ान में स्नातक की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री राजेश पायलट वर्तमान तेरहवीं लोक सभा में दौसा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। इससे पूर्व आप सातवीं (1980-84), आठवीं (1984-89), दसवीं (1991-96), ग्यारहवीं (1996-98) और बारहवीं (1998-91) लोक सभा में भी राजस्थान के सांसद रहे। वर्तमान लोकसभा में आप वर्ष 1999-2000 के लिए प्रतिरक्षा तथा लोक लेखा समिति के सदस्य रहे।

वर्ष 1985 से 1989 तथा वर्ष 1991से 1996 की अवधि में आपने केन्द्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में

(श्री अध्यक्ष)

अपने दायित्वों का निवर्हन किया।

अपने राजनीतिक जीवन में आपने असम आन्दोलन का कुशलतापूर्वक समाधान किया जिससे वहां 1983 में चुनाव सम्भव हो सके। राजनीति में आने से पूर्व 15 वर्ष तक आपने भारतीय वायु सेना में लड़ाकू पायलट के रूप में देश की सेवा की। 'फ्लाइट टू पार्लियामेण्ट' और 'इन द पब्लिक' जैसी पुस्तकों के लेखक रहे श्री पायलट किसानों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हितों के लिए सदैव संघर्षरत रहे। आपने 'जय जवान जय किसान ट्रस्ट' के माध्यम से अनेक प्रकार से जरूरतमंदों व छात्रों की सहायता की। खेलकूद, कृषि और अध्ययन में आपकी विशेष रुचि रही।

श्री राजेश पायलट का दिनांक 11 जून, 2000 को सड़क दुर्घटना में निधन हो गया।

सांसद और वर्तमान केन्द्रीय सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे श्री पी. आर कुमारमंगलम का जन्म 12 मई, 1952 को मद्रास में हुआ। आपने बी.एस.सी. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

आठवीं, नवीं, दसवीं तथा बारहवीं लोकसभा में सांसद रहे श्री पी. आर. कुमारमंगलम तेरहवीं लोक सभा के लिए तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद निर्वाचित हुए। अपने संसदीय कार्यकाल में आपने केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के राज्य मंत्री तथा केबिनेट मंत्री के पदों के दायित्वों का निर्वहन किया। लोक सभा में आप 1989-90 के दौरान कार्य सलाहकार समिति के सदस्य रहे। आप श्रम तथा कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति के भी सदस्य रहे।

आप कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा 'एन.एस.यू.आई.' के संस्थापक अध्यक्ष तथा ट्रेड यूनियन आन्दोलन के सक्रिय नेता रहे। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण पहल करने वाले श्री कुमारमंगलम श्रमिकों, उपेक्षित और कमजोर वर्गों के कल्याण तथा युवकों को रोजगार दिलाने में सदैव सक्रिय रहे। मित्रों, राजनीतिज्ञों तथा प्रियजनों के मध्य 'रंगा' के नाम से प्रसिद्ध श्री कुमारमंगलम की साहित्य और लेखन में भी रुचि थी। आपने 'द स्टूडेंट

(श्री अध्यक्ष)

मूवमेंट इन इंडिया' नामक पुस्तक तथा 'द अदर साइड ऑफ ग्रेविटेशन' व 'नुआंसेज ऑफ डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स' जैसे प्रसिद्ध आलेख लिखे।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम का दिनांक 23 अगस्त, 2000 को निधन हो गया।

विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अहमद बख्श सिंधी का जन्म 7 दिसम्बर, 1919 को बीकानेर में हुआ। आपने एम.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री अहमद बख्श सिंधी सातवीं राजस्थान विधान सभा के लिए जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अगस्त, 1980 से मार्च, 1981 तक प्राक्कलन समिति के सदस्य रहने के बाद मार्च, 1981 से अक्टूबर, 1982 तक उपाध्यक्ष के पद पर आसीन रहे। अक्टूबर, 1982 से फरवरी, 1985 तक आप राजस्थान सरकार में विधि एवं न्याय, राजकीय उपक्रम, चुनाव, वक्फ तथा भाषायी अल्पसंख्यक विभागों के मंत्री रहे।

अध्यापक, अधिवक्ता तथा कालेज प्राध्यापक रहे श्री सिंधी वर्ष 1948 में बीकानेर रियासत में ग्राम सुधार मंत्री रहे। आपने वर्ष 1942 से ही कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। अपने राजनीतिक जीवन में आप जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ महामंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। आप केन्द्रीय हज समिति, केन्द्रीय वक्फ परिषद, राजस्थान वक्फ बोर्ड, जमीयत उलमा हिन्द की कार्यकारिणी तथा जोधपुर विश्वविद्यालय की सिंडीकेट के सदस्य भी रहे। राजस्थान जमीयत उलमा हिन्द के महासचिव रहे श्री सिंधी श्रमिकों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री अहमद बख्श सिंधी का दिनांक 29 अप्रैल, 2000 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री भगवानदास शास्त्री का जन्म पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त के हैदराबाद में 25 जनवरी, 1922 को हुआ। आपने हैदराबाद इण्टरमीडियेट

(श्री अध्यक्ष)

(अंग्रेजी), कलकत्ता-इण्टरमीडियेट (अंग्रेजी) तथा एम.ए. (संस्कृत) की उपाधियां प्राप्त की।

श्री भगवानदास शास्त्री चतुर्थ तथा सातवीं राजस्थान विधान सभा के लिए अजमेर (पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र से क्रमश: जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप वर्ष 1967-69 तथा 1980-83 में याचिका समिति, 1970-72 में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सदस्य तथा वर्ष 1983-84 में नियम समिति की उप-समिति के सदस्य रहे। इसके अतिरिक्त आप पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास, भू-जल, अंत्योदय, सैनिक कल्याण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

संस्कृत के अध्यापक के पद पर रहने के बाद आपने वर्ष 1952 में राजनीति में प्रवेश किया तथा वर्ष 1957 में आप भारतीय जनसंघ के प्रान्तीय प्रतिनिधि तथा तीन वर्षों तक अजमेर में जनसंघ के नगर अध्यक्ष रहे। इसके अलावा आप वर्ष 1957 से दस वर्ष तक नगर परिषद, अजमेर में पार्षद, सार्वजनिक निर्माण उप-समिति के संयोजक तथा वर्ष 1959 में नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। आपातकाल में जेल यात्रा करने वाले श्री शास्त्री की अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सेवा तथा ज्योतिष में विशेष रुचि रही।

श्री भगवानदास शास्त्री का दिनांक 21 जून, 2000 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री मान्धाता सिंह का जन्म 30 मार्च, 1922 को जयपुर में हुआ। आपने एम.ए., एलएल.बी. (आनर्स) तथा बार-एट-लॉ की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री मान्धाता सिंह तृतीय राजस्थान विधान सभा में महुवा विधान सभा क्षेत्र के लिए 1964 में हुए उप-चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 1964 में राजनीति में प्रवेश करने से पूर्व आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे। लंदन में अपने अध्ययन प्रवास के समय आप पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा के सहपाठी रहे। श्री सिंह की कृषि और ईश्वर भक्ति में विशेष रुचि रही।

(श्री अध्यक्ष)

श्री मान्धाता सिंह का दिनांक 22 अगस्त, 2000 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक तथा अजमेर विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष श्री भागीरथ सिंह चौधरी का जन्म 1 मई, 1920 को अजमेर के कालेसरा ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. व एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री भागीरथ सिंह चौधरी प्रथम आम चुनाव (1952) में अजमेर-मेरवाड़ा राज्य के कालेसरा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए और 22 मई, 1952 को अजमेर-मेरवाड़ा विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। आपको देश में सबसे कम उम्र में विधान सभा के अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। पेशे से वकील रहे श्री चौधरी संगीत तथा साहित्यिक गतिविधियों में विशेष रुचि रखते थे और जीवन पर्यन्त सामाजिक उत्थान के लिए सक्रिय रहे।

श्री भागीरथ सिंह चौधरी का दिनांक 30 जून, 2000 को निधन हो गया।

स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व विधायक श्री कंवरलाल जेलिया का जन्म 8 नवम्बर, 1923 को तत्कालीन कोटा राज्य के सांगोद कस्बे में हुआ। आपने साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की।

श्री कंवरलाल जेलिया प्रथम राजस्थान विधान सभा में लाडपुरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र की जन-समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव सक्रिय रहे।

श्री जेलिया ने 1939 से 1942 तक वर्धा में चर्म उद्योग का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसी दौरान आप महात्मा गांधी तथा श्री विनोबा भावे से भी मिले। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री जेलिया हरिजन एवं आदिवासी समिति के संयोजक तथा हरिजन सेवक संघ, कोटा के मंत्री रहे। कांग्रेस संगठन के बेबाक प्रवक्ता रहे श्री जेलिया की सहकारिता, सार्वजनिक सेवा तथा हरिजन सेवा में विशेष रुचि रही।

श्री कंवरलाल जेलिया का दिनांक 23 अगस्त, 2000 को निधन हो गया।

मैं इन दिवंगत आत्माओं को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.27 बजे मंगलवार; 31 अक्टूबर, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)